



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

Email:-exam@durguniversity.ac.in Website :- www.durguniversity.ac.in Phone No. 0788-2359100

क्र. 270 / प्रवेश / 2025

दुर्ग, दिनांक 03/06/2025

// अधिसूचना //

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सत्र 2025-26 के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु ऑनलाईन पद्धति से प्रवेश आवेदन फार्म प्रारंभ किया जाता है, जिसकी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.	विवरण	प्रथम चरण हेतु प्रवेश की तिथि	द्वितीय चरण हेतु प्रवेश की तिथि	तृतीय चरण हेतु प्रवेश की तिथि
01	प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि (स्नातक-प्रथम सेमेस्टर (नियमित))	05.06.2025 से 15.06.2025 तक	21.06.2025 से 30.06.2025 तक	08.07.2025 से 21.07.2025 तक
02	मेरिट सूची जारी करने की तिथि	16.06.2025	01.07.2025	22.07.2025
03	महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथि	16.06.2025 से 20.06.2025 तक	01.07.2025 से 07.07.2025 तक	22.07.2025 से 31.07.2025 तक

- महाविद्यालयों में सीटें रिक्त होने की स्थिति में कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि 14.08.2025 है।
- कक्षाओं का विवरण जिसके लिए प्रवेश आवेदन पोर्टल खोला जा रहा है – बी.कॉम./बी.एससी./बी.सी.ए./बी.बी.ए./बी.एससी. गृह विज्ञान/बी.ए./डी.सी.ए.।
- स्वाध्यायी (प्राइवेट) विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु पोर्टल पृथक से खोला जाएगा, जिसके लिए विद्यार्थी निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in का अवलोकन करते रहेंगे।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

छात्र/छात्राओं हेतु निर्देश:-

1. प्रवेश आवेदन फार्म पूर्णतः निःशुल्क है।
2. समस्त विद्यार्थियों को ABC (Academic Bank of Credit) आई.डी. बनाना अनिवार्य है। ABC (Academic Bank of Credit) आई.डी. बनाने के पश्चात ही विद्यार्थी प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे।
(Link:- <http://www.abc.gov.in>)
3. ऐसे नियमित विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व में ABC (Academic Bank of Credit) आई.डी. बना ली है, उन्हें पुनः ABC ID बनाने की आवश्यकता नहीं है।
4. छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in के Quick Links पर जाकर Online Admission Form 2025-26 पर Click कर अथवा <http://durg1.ucanapply.com> के माध्यम से प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे।

5. छात्र/छात्राएं उपरोक्त लिंक के माध्यम से सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे तत्पश्चात यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड प्राप्त कर प्रवेश आवेदन फार्म भरेंगे।
6. प्रत्येक विद्यार्थी अधिकतम एक बार में 10 महाविद्यालयों हेतु प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे।
7. मेरिट सूची जारी होने के पश्चात सूची में नाम आने पर संबंधित विद्यार्थी को उक्त महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
8. प्रथम मेरिट सूची में प्रवेश से वंचित छात्रों को मेरिट के आधार पर द्वितीय सूची में शामिल किया जाए।
9. महाविद्यालय, NEP 2020 के स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु महाविद्यालय की संबद्धता एवं उपलब्धता के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु GE एवं VAC के विषय आबंटित करेंगे।
10. महाविद्यालयों को संबंधित विद्यार्थी के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात यथाशीघ्र Admitted करने के पूर्व GE एवं VAC के विषय Fill करना सुनिश्चित करें एवं ऑनलाईन माध्यम से भी उनके डाटा को वेरिफाई अथवा Admitted करना होगा। संबंधित विद्यार्थी के डाटा को महाविद्यालय द्वारा वेरिफाई नहीं करने की स्थिति में भी उक्त विद्यार्थी का डाटा प्रवेश पोर्टल से हटा दिया जाएगा।
11. यदि विद्यार्थी का नाम उसके द्वारा चयन किए गये 10 महाविद्यालयों में से किसी की भी मेरिट सूची में शामिल नहीं है तो उन्हें पुनः नवीन प्रवेश आवेदन फार्म भरना होगा जिसके लिए उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने उसी आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर पुनः प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे।
12. प्रवेश फार्म ऑनलाईन पद्धति से भरने के पूर्व छात्र/छात्राएं छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का भलिभांति अवलोकन कर लेवें, तत्पश्चात ही प्रवेश आवेदन फार्म भरें, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
13. छात्र/छात्राएं अब मोबाईल के माध्यम से भी प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे, इसके लिए उन्हें अपने अंतिम परीक्षा की अंकसूची (यदि प्राप्त नहीं हुई है तो इंटरनेट से प्राप्त की हुई प्रति) प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि पहले से ही स्कैन करके रखना होगा जिससे अपलोड करते समय परेशानी न हो।
14. ऑनलाईन प्रवेश आवेदन करने के पश्चात आवेदन की एक प्रति संबंधित महाविद्यालय एवं एक प्रति संबंधित छात्र/छात्रा के आई.डी. पर अपलोड हो जाएगी जिसे विद्यार्थी कभी भी डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सकते हैं।
15. विद्यार्थी विषय / पाठ्यक्रम का चयन करने में अत्यन्त सावधानी रखेंगे। विषय / पाठ्यक्रम चयन में त्रुटि होने पर संबंधित महाविद्यालय से सुधार कार्य निःशुल्क करा सकेंगे।
16. प्रवेश आवेदन फार्म आवश्यक दस्तावेजों सहित (यथा स्थानान्तरण/माईग्रेशन प्रमाण पत्र, अंतिम परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति (यदि अंकसूची अप्राप्त है, तो इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची की छायाप्रति), पात्रता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य यदि कोई हो तो) आदि संबंधित महाविद्यालयों में स्वीकार किए जायेंगे। महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित सीट संख्या के आधार पर आवेदनों की मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सीट रिक्त होने पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन मंगाये जायेंगे।

17. अधिभार के संबंध में वर्ष 2024-25 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के बिन्दु क्र. 13 से 13.8 तक का अवलोकन किया जा सकता है। अधिभार हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रदेश आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
18. यदि ऑनलाईन प्रवेश आवेदन फार्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय के हेल्पलाईन नं. 08062526431 (0 is Mandatory to make a call) पर फोन के माध्यम से अथवा onlinehelp@durguniversity.in पर ई-मेल कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

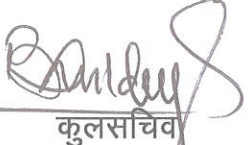
महाविद्यालयों हेतु निर्देश:-

1. इस वर्ष महाविद्यालयों के लिए OTP Based Login System तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत सम्बंधित महाविद्यालय को प्रथम बार Login करने पर मोबाइल नं. एवं ई-मेल की जानकारी देनी होगी। सम्बंधित महाविद्यालय उक्त जानकारी केवल एक बार ही दर्ज कर सकेंगे तथा प्रत्येक बार Login करने पर उपरोक्त दिए गये मोबाइल नं. एवं ई-मेल पर OTP प्रेषित की जाएगी जिसकी प्रविष्टि Login करने के समय पर की जानी अनिवार्य होगी।
2. महाविद्यालयों को संबंधित विद्यार्थी के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात यथाशीघ्र Admitted करने के पूर्व GE एवं VAC के विषय Fill करना सुनिश्चित करें एवं ऑनलाईन माध्यम से भी उनके डाटा को वेरिफाई अथवा Admitted करना होगा। संबंधित विद्यार्थी के डाटा को महाविद्यालय द्वारा वेरिफाई नहीं करने की स्थिति में भी उक्त विद्यार्थी का डाटा प्रवेश पोर्टल से हटा दिया जाएगा।
3. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जाए। यदि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। सीट संख्या से अतिरिक्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
4. सत्र 2025-26 में आपके महाविद्यालय में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पद्धति से आवेदन लिए जा सकेंगे। महाविद्यालय उन्हीं प्रवेश आवेदनों को स्वीकार करेंगे जिनके आवेदन में संबंधित महाविद्यालय का चयन किया गया हो।
5. विश्वविद्यालय द्वारा जिन विषय / पाठ्यक्रम की संबद्धता महाविद्यालय को प्रदान की गई है, उनकी सूची महाविद्यालय अपने वेबसाइट / सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे।
6. प्रवेश फार्म केवल ऑनलाईन पद्धति से ही भरे जायेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन प्रवेश आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। यदि महाविद्यालय प्रवेश तिथि के पश्चात ऑफलाईन आवेदन लेकर किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश देते हैं तो इसके लिए संबंधित महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे संपूर्ण दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात प्रवेश पोर्टल पर जाकर संबंधित विद्यार्थी के डाटा को Admitted करेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्रों के आवेदन को संबंधित महाविद्यालय द्वारा Admitted करना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही उनकी प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

8. स्नातक प्रथम वर्ष में जिन विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी उनके आवेदन संबंधित महाविद्यालय द्वारा Admitted करना अत्यंत आवश्यक है, जिनके डाटा को महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन माध्यम से Admitted नहीं किया जाएगा ऐसे विद्यार्थी नामांकन आवेदन एवं परीक्षा आवेदन फार्म नहीं भर पायेंगे।
9. पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र की उपलब्धता पर महाविद्यालय अपने सूचना पटल एवं वेबसाइट दोनों पर मेरिट सूची जारी करें। मेरिट सूची जारी करने के पश्चात निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रदेश की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. छात्र/छात्राओं द्वारा विषय समूह/नाम/पिता/माता का नाम/जन्म तिथि आदि के चयन में हुई त्रुटियों का सुधार विश्वविद्यालय के माध्यम से करा सकेंगे। विषय/ पाठ्यक्रम में हुई त्रुटि का सुधार विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय से निःशुल्क करा सकेंगे।
11. महाविद्यालयों को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड पूर्व में प्रदान किया गया है, फिर भी यदि किसी महाविद्यालय के पास यह नहीं है तो वह विश्वविद्यालय से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
12. किसी भी स्थिति में ऑफलाईन प्रवेश आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

संलग्न:

1. अकादमिक कैलेण्डर।


कुलसचिव

दुर्ग, दिनांक 03/06/2025

पृ.क्र 271/प्रवेश/2025
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. कलेक्टर-दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/कबीरधाम/राजनांदगांव/मोहला-मानपुर-चौकी/खैरागढ़-छुईखदन-गंडई।
5. पुलिस अधीक्षक-दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/कबीरधाम/राजनांदगांव/मोहला-मानपुर-चौकी/खैरागढ़-छुईखदन-गंडई।
6. वित्त अधिकारी/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/उ.कु.स./स.कु. परीक्षा/गोपनीय/अकादमिक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
8. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र जिला- दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/कबीरधाम/राजनांदगांव/मोहला-मानपुर-चौकी/खैरागढ़-छुईखदन-गंडई।


उपकुलसचिव

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

30 MAY 2025

क्रमांक एफ 17-83/2018/38-2
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

✓ आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2025-26 का अकादमिक कैलेंडर के संबंध में
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 751/204/आउशि/गु.प्र./2025 दिनांक 18.03.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु अकादमिक कैलेंडर (वार्षिक प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली एवं पीएचडी कार्यक्रम) अनुमोदन उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्न-यथोपरि।

(धनंजय नेताम)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

पृ. क्रमांक एफ 17-83/2018/38-2
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

शैक्षणिक सत्र 2025-26 का अकादमिक कैलेंडर
- सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम -

क्र	अकादमिक कार्य/ गतिविधियां	सेमेस्टर I/III/V/VII		सेमेस्टर II/IV/VI/VIII	
		नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वध्यायी विद्यार्थियों हेतु	नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वध्यायी विद्यार्थियों हेतु
1	प्रवेश प्रक्रिया:				
	प्रथम सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक	पंजीयन 31 अगस्त 2025 तक	-----	-----
	कुलपति की अनुमति से	14 अगस्त 2025 तक	-----	-----	-----
	अन्य सेमेस्टर (III/IV/VI)	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक	-----	प्रवेश नवीनीकरण परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक	-----
2	अध्यापन कार्य आरंभ	01 जुलाई 2025 से	-----	02 जनवरी 2026	-----
3	महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु इन्डक्शन कार्यक्रम का आयोजन	20 से 31 जुलाई 2025 के मध्य	15 सितम्बर 2025 तक	10 से 15 जनवरी 2026 के मध्य	30 जनवरी 2026 तक
4	विद्यार्थियों द्वारा GE / DSE & VAC/ SEC का चयन	05 अगस्त 2025 तक	25 सितम्बर 2025 तक	15 जनवरी 2026 तक	30 जनवरी 2026 तक
5	GE /DSE & VAC/ SEC कोर्सवार विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया जाना	20 अगस्त 2025 तक	30 सितम्बर 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक	10 फरवरी 2026 तक
6	सतत् आंतरिक मूल्यांकन(CIA): असाइनमेन्ट का आबंटन	25 अगस्त 2025 तक	30 सितम्बर 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक	10 फरवरी 2026 तक
7	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): प्रथम टेस्ट/क्विज	8, 9, 10, 11, 12 सितम्बर, 2025	10 अक्टूबर 2025 तक	24,25,26,27,28 फरवरी, 2026	10 मार्च 2026 तक
8	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): द्वितीय टेस्ट/क्विज	13, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर, 2025	10 नवम्बर 2025 तक	06,07,08,09,10 अप्रैल, 2026	10 अप्रैल 26 तक

Pran

क्र.	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	सेमेस्टर I/III/V/VII		सेमेस्टर II/IV/VI/VIII		
9	सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA): असाइनमेंट का मूल्यांकन	10 नवम्बर 2025 तक	20 नवम्बर 2025 तक	15 अप्रैल 2026 तक	24 अप्रैल 26 तक	
10	प्रायोगिक परीक्षा का संचालन	10 से 20 नवम्बर 2025	10 से 20 नवम्बर 2025	15 से 24 अप्रैल 2026 तक	15 से 24 अप्रैल 2026 तक	
11	परीक्षा पूर्व तैयारी	21 से 27 नवम्बर 2025	-----	24 से 30 अप्रैल 2026 तक	-----	
12	सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA): प्राप्तांको का विश्वविद्यालयों को प्रेषण	22 नवम्बर 2025 तक	22 नवम्बर 2025 तक	28 अप्रैल 2026 तक	28 अप्रैल 2026 तक	
13	अंतर्-सेमेस्टर परीक्षा (ESE):	28 नवम्बर 2025 से		04 मई 2026 से		

- वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम -

क्र.	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	तृतीय वर्ष हेतु तिथियां
1.	प्रवेश प्रक्रिया:	31 जुलाई 2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक
2	अध्यापन कार्य आरंभ	01 जुलाई 2025 से
3.	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	01 मार्च 2026 से
4.	वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा	10 जून 2026 तक
5	पुनर्मूल्यांकन के परिणाम की घोषणा	31 जुलाई 2026 से
6	पूरक परीक्षा का आयोजन	यथासम्भव न्यूनतम अवधि में
7	पूरक परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा	15 सितम्बर 2026 तक

शैक्षणिक सत्र 2025-26 का अकादमिक कैलेंडर

- सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम -

क्र.	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	सेमेस्टर I / III	सेमेस्टर II / IV
1.	प्रवेश प्रक्रिया: प्रथम सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक	
		16 जून से 31 जुलाई 2025 तक	-----
	कुलपति की अनुमति से	14 अगस्त 2025 तक	-----
	तृतीय सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2025 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक	प्रवेश नवीनीकरण परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत 10 दिन तक
2	अध्यापन कार्य आरंभ	01 जुलाई 2025 से	02 जनवरी 2026
3.	आंतरिक मूल्यांकन / असाइनमेंट / सेमिनार / प्रोजेक्ट का आबंटन	25 अगस्त 2025 तक	05 फरवरी 2026 तक
4.	आंतरिक मूल्यांकन - प्रथम टेस्ट	8, 9, 10, 11, 12 सितम्बर, 2025	24,25,26,27,28 फरवरी, 2026
5.	आंतरिक मूल्यांकन-द्वितीय टेस्ट	13, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर, 2025	06,07,08,09,10 अप्रैल, 2026

[Signature]

6.	आंतरिक मूल्यांकन: असाइनमेन्ट / सेमिनार / प्रोजेक्ट का मूल्यांकन	10 नवम्बर 2025 तक	15 अप्रैल 2026 तक
7.	प्रायोगिक परीक्षा का संचालन	10 से 20 नवम्बर 2025	15 से 24 अप्रैल 2026 तक
8.	परीक्षा पूर्व तैयारी	21 से 27 नवम्बर 2025	24 से 30 अप्रैल 2026 तक
9.	आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांको का विश्वविद्यालयों को प्रेषण	22 नवम्बर 2025 तक	28 अप्रैल 2026 तक
10.	अंत सेमेस्टर परीक्षा	28 नवम्बर 2025 से	04 मई 2026 से

पी-एच.डी. कार्यक्रम हेतु सत्रीय अकादमिक कैलेण्डर

क्र	अकादमिक कार्य/गतिविधियां	निर्धारित तिथि/अवधि
1	पी-एच.डी. पाठक्रम प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना	31 जुलाई तक
2	पी-एच.डी. पाठक्रम प्रवेश परीक्षा आयोजन	14 अगस्त तक
3	पी-एच.डी. पाठक्रम प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा	30 अगस्त तक
4	विभागीय शोध समिति की बैठक का आयोजन	30 सितम्बर तक
5	पी-एच.डी. पाठक्रम में प्रवेश	30 अक्टूबर तक
6	पी-एच.डी. पाठक्रम का कोर्सवर्क अध्यापन कार्य	नवंबर से मार्च
7	कोर्सवर्क की परीक्षा का आयोजन	15 मई से 30 मई के मध्य
8	कोर्सवर्क की परीक्षा परीणाम की घोषणा	30 जून तक

— सत्रीय अन्य गतिविधियां —

क्र	गतिविधियां/विवरण	निर्धारित तिथि/अवधि
1	छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	शासन के निर्देशानुसार
2	खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां —	
	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं आरम्भ किया जाना	द्वितीय सप्ताह जुलाई 2025 से
	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन	अंतिम सप्ताह नवम्बर 2025 तक
	खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का वार्षिक आयोजन	प्रथम सप्ताह जनवरी 2026
3	एन.सी.सी./एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियां —	
	वृक्षारोपण कार्यक्रम	द्वितीय सप्ताह जुलाई 2025
	एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प का आयोजन	प्रथम सप्ताह नवम्बर 2025
	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण का आयोजन	प्रथम सप्ताह जनवरी 2026
4	विश्वविद्यालय स्तर पर दीक्षान्त समारोह का आयोजन	जनवरी — फरवरी 2026
5	अवकाश —	
	दशहरा अवकाश — 03 दिन	29 सितम्बर से 01 अक्टूबर 2025 तक
	दीपावली अवकाश — 05 दिन	17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक
	शीतकालीन अवकाश — 03 दिन	26 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2025 तक
	ग्रीष्मकालीन अवकाश — 30 दिन	16 मई 2026 से 14 जून 2026

Signature

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क समिति का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारीयों प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्रति सेमेस्टर शैक्षणिक कार्य दिवस 90 दिन निर्धारित है। कतिपय कारणों से कम होने की स्थिति में संस्था स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों में वृद्धि कर शैक्षणिक कार्य दिवसों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य होगा।
3. समस्त शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्रति सेमेस्टर निर्धारित कोर्स क्रेडिट्स पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
5. महाविद्यालयों में लागू समय-सारणी में प्रत्येक कालखण्ड की अवधि 01 घंटे की ही होगी।
6. प्रत्येक डिसिप्लिन/विषय हेतु निर्धारित कालखण्डों/अवधि में विद्यार्थियों की उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगा। निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के पालकों को सूचना दी जायेगी।
7. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प तथा अन्य गतिविधियों में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यार्थियों की उक्त अवधि की उपस्थिति को मान्य किया जायेगा।
8. प्रति कोर्स हेतु सतत आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
9. परीक्षा सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गए समस्त दायित्वों का निर्वहन किया जाना अनिवार्य होगा।
10. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कर्तव्य अवधि – न्यूनतम 7 घंटे प्रतिदिन
 - प्रथम पाली – प्रातः 7.30 से 2.30 अपरान्ह
 - द्वितीय पाली – प्रातः 10.30 से 5.30 सांयकाल

(धनंजय नेताम)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग